भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5737
दिनांक 27 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी केंद्रों में बुनियादी सुविधाएं

5737. **श्री संजय दिना पाटीलः**
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र राज्य में वर्तमान में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र चल रहे हैं जिनमें शौचालय, स्वच्छ पेयजल अथवा पर्याप्त अवसंरचना नहीं है और इन कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) महाराष्ट्र के जनजातीय और पोषण की दृष्टि से संवेदनशील जिलों में पोषण ट्रैकर के अंतर्गत एकत्र किए गए आंकड़ों की स्थिति क्या है और स्टंटिंग, वेस्टिंग और कम वजन बाले बच्चों के संबंध में उपलब्ध अद्यतन आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने मुंबई के घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों, विशेषकर अनौपचारिक बस्तियों में आंगनवाड़ी अवसंरचना और सेवा प्रदायगी की पर्याप्तता का आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) मिशन वात्सल्य के अंतर्गत मुंबई में देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की जिला-वार संख्या कितनी है और उनके पुनर्वास के लिए निधियों का उपयोग किया जा रहा है; और

(ङ) मुंबई जैसे महानगरों में पोषण सेवाओं, आंगनवाड़ी अवसंरचना और बाल संरक्षण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ड.) मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, आंगनवाड़ी केंद्रों में अवसंरचना सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान, मनरेगा के साथ समन्वय में प्रति वर्ष 10,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से 50,000 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है। इसमें प्रति आंगनवाड़ी केंद्र मनरेगा के तहत 8.00 लाख रुपये, 15वें वित्त आयोग (या किसी अन्य असंबद्ध निधि) के तहत 2.00 लाख रुपये और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2.00 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं जिसे निर्धारित लागत हिस्सेदारी अनुपात में केंद्र तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच साझा किया जाता है।

इसके अलावा, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी परामर्श दिया गया है कि वे संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष, पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त आयोग अनुदान, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम इत्यादि जैसी विभिन्न योजनाओं से आंगनवाड़ी केंद्र के भवनों के निर्माण के लिए निधि जुटाना जारी रखें।

प्रधानमंत्री जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय जनसंख्या के लक्षित विकास और उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) – चरण-I के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु विभिन्न अन्य पहलें की गई हैं।

इसके अलावा, आंगनवाड़ी केंद्रों में अवसंरचना सुविधाओं में सुधार करने के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिनमें अन्य के साथ-साथ, आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल सुविधाओं और शौचालयों के लिए निधि को क्रमशः 10,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये और 12,000 रुपये से बढ़ाकर 36,000 रुपये करना शामिल है।

शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के समन्वय से मंत्रालय ने सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना के लिए 3 सितंबर, 2025 को संयुक्त रूप से दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इनका उद्देश्य ईसीसीई और मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान संबंधी सेवाओं को सुदृढ़ करना है। जिन स्थानों पर वास्तविक रूप से आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करना संभव नहीं है, वहां उन्हें निकटतम प्राथमिक विद्यालय के साथ जोड़ा जाएगा।

मिशन पोषण 2.0 के तहत, 15वें वित्त आयोग की अवधि में सरकारी भवनों में स्थित दो लाख आंगनवाड़ी केंद्रों (प्रति वर्ष 40,000 की दर से) को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि बेहतर पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा प्रदान की जा सके। सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों को पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों की तुलना में बेहतर बुनियादी सुविधा प्रदान की जाती है, जिसमें एलईडी स्क्रीन, जल शोधन प्रणाली,

पोषण वाटिका, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ईसीसीई) सामग्री और बिल्डिंग एज लर्निंग ऐड (बाला) पेंटिंग शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, आंगनवाड़ी केंद्रों को स्मार्टफोन और विकास निगरानी उपकरणों के प्रावधान के साथ तकनीकी रूप से सशक्त बनाया गया है ताकि वे कुशल निगरानी और सेवा प्रदायगी कर सकें।

सेवा प्रदायगी की अंतिम लाभार्थी तक ट्रैकिंग के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने टेक-होम राशन की प्रदायगी के लिए पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन में चेहरे की पहचान प्रणाली (एफआरएस) तैयार किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ केवल पोषण ट्रैकर में पंजीकृत लक्षित लाभार्थी को ही दिया जाता है।

सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को निर्बाध रूप से टेक होम राशन (टीएचआर) की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पोषण ट्रैकर में नॉमिनी मॉड्यूल शुरू किया गया है। यदि किसी कारणवश पंजीकृत लाभार्थी (गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली माता और किशोरी) एफआरएस के माध्यम से अपना टीएचआर प्राप्त करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र नहीं जा पाती हैं, तो वे अपनी ओर से टीएचआर प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को नामित कर सकती हैं। नामांकित व्यक्ति को केवल एक बार ई-केवाईसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। लेकिन, लाभार्थी की ओर से टीएचआर प्राप्त करने के लिए प्रत्येक बार चेहरे का मिलान किया जाएगा। नामांकित व्यक्ति को जोड़ने के बाद भी, यदि नामांकित व्यक्ति ने टीएचआर प्राप्त नहीं किया है, तो लाभार्थी आंगनवाड़ी केंद्र से टीएचआर प्राप्त कर सकती हैं।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के अंतर्गत आता है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत महाराष्ट्र राज्य में कार्यशील शौचालयों की संख्या, पेयजल, अवसंरचना और विकास निगरानी संकेतकों वाले कार्यशील आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) की जिले-वार संख्या https://www.poshantracker.in/statistics पर उपलब्ध है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) के लिए नोडल मंत्रालय है, जो बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने वाला प्राथमिक कानून है तथा इसे राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। यह अधिनियम राज्य एवं जिला स्तर पर सांविधिक संरचनाएं सृजित करता है, जिनमें राज्य बाल संरक्षण समिति, बाल कल्याण

समितियां, किशोर न्याय बोर्ड, जिला बाल संरक्षण इकाइयां शामिल हैं। इसमें बाल देखरेख संस्थाओं की स्थापना का भी प्रावधान करता है।

जेजे अधिनियम 2015 (धारा 27-30) के तहत, बाल कल्याण समितियों को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में उनके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। उन्हें बाल देखरेख संस्थाओं के कामकाज की निगरानी करने का भी दायित्व सौंपा गया है।

यह मंत्रालय देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों और विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम केंद्र प्रायोजित योजना 'मिशन वात्सल्य' कार्यान्वित कर रहा है। इन सेवाओं में संस्थागत देखरेख और गैर-संस्थागत देखरेख शामिल हैं। मिशन वात्सल्य योजना के तहत स्थापित बाल देखरेख संस्थाएं अन्य के अलावा, आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखरेख, परामर्श इत्यादि में सहायता प्रदान करती हैं। गैर-संस्थागत देखरेख के तहत, बच्चों को प्रायोजन, पालक देखभाल, दत्तक ग्रहण और पश्चात देखरेख के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, मिशन वात्सल्य के कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार को 144.97 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। इसके अलावा, सीसीआई के माध्यम से 3667 बच्चों को लाभ मिला और मिशन वात्सल्य की गैर-संस्थागत देखरेख के तहत 32520 बच्चों को सहायता प्रदान की गई।
